उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)

शक्ति भवन, 14-अशोक मार्ग, लखनऊ

CIN: U32201UP1999SGC024928

संख्या 135 – विनियम एवं काविनी / पाकालि /2017-68-विनियम/2015 दिनांक: 05 सितम्बर, 2017

विषय :- **टेक्नीशियन (ग्रेड-2) (विद्युत) के पद पर सीधी भर्ती हेतु निर्धारित शैक्षिक अर्हता एवं परीक्षा की प्रक्रिया एवं तकनीशियन ग्रेड-2 से अवर अभियन्ता के पद पर विभागीय प्रोन्नति प्रक्रिया।**

कार्यालय ज्ञाप

कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा-179 तथा निगम के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के आर्टिकल 47, 48 एवं अन्य विधिक प्राविधानों के अन्तर्गत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के निदेशक मण्डल की दिनांक 04.09.2017 की बैठक में लिये गये निर्णयानुसार टेक्नीशियन (ग्रेड-2) (विद्युत) के पद पर सीधी भर्ती हेतु निर्धारित शैक्षिक अर्हता एवं परीक्षा की प्रक्रिया एवं तकनीशियन ग्रेड-2 से अवर अभियन्ता के पद पर विभागीय प्रोन्नति प्रक्रिया के सम्बन्ध में निर्गत आदेशों यथा संख्या 144-विनियम एवं औ0सं0/पाकालि/11-2(21)एनजीए/04 दिनांक 04.11.2011, संख्या 72-विनियम/काविनी-29/पाकालि/ 2015-68-विनियम/15 दिनांक 08 अक्टूबर 2015, संख्या 38-विनियम/काविनी-29/ पाकालि/2015-68- विनियम/15 दिनांक 28.04.2016, संख्या 91- विनियम/ काविनी-29/पाकालि/15-68-विनियम/15 दिनांक 03.07.2017 तथा संख्या-112-विनियम/काविनी-29/पाकालि/2015-68 विनियम/15 दिनांक 11.08.2017 को अवक्रमित करते हुए एतद्द्वारा निम्नानुसार प्राविधानित किया जाता है :-

टेक्नीशियन (ग्रेड-2) (विद्युत) के पद पर सीधी भर्ती हेतु निर्धारित शैक्षिक अर्हता एवं परीक्षा की प्रक्रिया:

माध्यमिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 की हाईस्कूल या समकक्ष परीक्षा विज्ञान एवं गणित विषयों में उत्तीर्ण होने के साथ नियमित छात्र के रूप में निम्नांकित ट्रेडों में से किसी एक ट्रेड में द्विवर्षीय अखिल भारतीय अथवा राज्य व्यावसायिक प्रमाण-पत्र (NCVT / SCVT) का होना आवश्यक :-

(i) इलेक्ट्रीशियन

(ii) इलेक्ट्रिकल

(iii) इलेक्ट्रिकल *(कौशल विकास के अन्तर्गत विद्युत वितरण)*

लिखित परीक्षा- तकनीशियन (ग्रेड-2) के रिक्त पदों पर विद्युत सेवा आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती हेतु वस्तुनिष्ठ प्रकार की लिखित परीक्षा होगी। लिखित परीक्षा का प्रश्न-पत्र दो भागों का होगा।

प्रथम भाग :

(1) इस भाग में NIELIT के "CCC" स्तर का कम्प्यूटर ज्ञान से सम्बन्धित वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न-पत्र होगा, जिसमें 50 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न 01 अंक का होगा, अर्थात यह परीक्षा अधिकतम 50 अंकों की होगी। प्रत्येक गलत उत्तर के लिये ऋणात्मक ¼ अंक प्रदान किये जाएंगे अर्थात् ¼ अंक की अतिरिक्त कटौती की जाएगी।

(2) कम्प्यूटर ज्ञान के प्रथम भाग की इस परीक्षा में कम-से-कम 20 अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा अन्यथा की स्थिति में सम्बन्धित अभ्यर्थी को अर्ह न मानते हुए उसकी लिखित परीक्षा के द्वितीय भाग का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा।

(3) कम्प्यूटर ज्ञान के इस प्रथम भाग में प्राप्त किये गये अंक श्रेष्ठता निर्धारण हेतु जोड़े नहीं जाएंगे।

द्वितीय भाग :

इस भाग में निम्नांकित पाठ्यक्रम से सम्बन्धित वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न–पत्र होगा, जिनके अधिकतम अंक सम्मुख अंकित हैं। प्रत्येक प्रश्न 01 अंक का होगा तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिये ऋणात्मक ¼ अंक प्रदान किये जाएंगे अर्थात् ¼ अंक की अतिरिक्त कटौती की जाएगी।

पाठ्यक्रम	प्रश्नों की संख्या	अधिकतम अंक
(1) सामान्य अध्ययन व तार्किक ज्ञान	20	20
(2) सामान्य हिन्दी *(हाई स्कूल सामान्य स्तर)*	15	15
(3) सामान्य अंग्रेजी *(हाई स्कूल सामान्य स्तर)*	15	15
(4) तकनीकी विषयक ज्ञान	150	150
कुल अंक		200

***नोट :–** चयन हेतु इस द्वितीय भाग की परीक्षा में कम से कम 33½% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, अर्थात् ऐसे अभ्यर्थी, जो 67 से कम अंक प्राप्त करेंगे, वे चयन प्रक्रिया से बाहर हो जायेंगे।*

विशेष :

4. उपरोक्तानुसार, निर्धारित प्रतिबन्धों एवं अर्हताओं के अधीन, द्वितीय भाग की लिखित परीक्षा हेतु निर्धारित 200 अंकों के आधार पर ही अभ्यर्थियों की अन्तिम मेरिट लिस्ट बनाकर चयन की प्रक्रिया सम्पन्न की जाएगी।
5. "उपरोक्तानुसार निर्धारित 200 अंकों की परीक्षा में दो या अधिक अभ्यर्थियों के समान अंक पाने की स्थिति में उस अभ्यर्थी का नाम ज्येष्ठता सूची में ऊपर रहेगा, जिसके द्वारा अप्रेन्टिसशिप की गयी हो, यदि एक से अधिक अप्रेन्टिसशिप के अभ्यर्थी पात्र हैं, तो अधिक उम्र के अभ्यर्थी को वरीयता दी जायेगी।
6. परीक्षा प्रक्रिया से सम्बन्धित अन्य ऐसे बिन्दु जिनका इस विनियमावली में कोई उल्लेख नहीं है, के सम्बन्ध में निर्णय लेने का अधिकार अध्यक्ष, विद्युत सेवा आयोग को प्राप्त होगा।

तकनीशियन ग्रेड–2 से अवर अभियन्ता के पद पर विभागीय प्रोन्नति प्रक्रियाः–

उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 एवं विभिन्न वितरण कम्पनियों मे आमेलित हो चुके तकनीशियन ग्रेड–2 की कॉमन वरिष्ठता सूची तैयार करने मे आ रही विधिक कठिनाई के दृष्टिगत, तकनीशियन ग्रेड–2 के समस्त कार्मिकों को समान अवसर प्रदान किये जाने के उद्देश्य से निदेशक मण्डल द्वारा, अवर अभियन्ता के पद पर लिखित परीक्षा के माध्यम से विभागीय प्रोन्नति प्रक्रिया सम्पन्न किये जाने का निर्णय लिया गया। विभागीय प्रोन्नति हेतु लिखित परीक्षा की प्रक्रिया निम्नवत् होगी :–

(क) विभागीय प्रोन्नति हेतु विद्युत सेवा आयोग द्वारा निर्धारित रिक्तियों के विरूद्ध 200 अंकों की 3 घण्टे की कम्प्यूटर आधारित चार प्रश्न प्रत्रों की परीक्षा आयोजित की जायेगी जिसका प्रारूप निम्नवत् होगा :–

(1)	सामान्य हिन्दी	– 50 प्रश्न
(2)	सामान्य अध्ययन एवं तार्किक ज्ञान	– 50 प्रश्न
(3)	तकनीकी ज्ञान	– 50 प्रश्न
(4)	कम्प्यूटर ज्ञान	– 50 प्रश्न

(ख) प्रत्येक सही उत्तर पर 01 अंक दिया जायेगा एवं गलत उत्तर पर ¼ अंक अतिरिक्त काटे जायेगे।

विभागीय परीक्षा मे सम्मिलित होने हेतु पात्रता :-

(क) कार्मिक तकनीशियन (ग्रेड-2) के पद पर स्थायी घोषित हो।

(ख) कार्मिक तकनीशियन (ग्रेड-2) के पद पर 10 वर्ष की अर्हकारी सेवा पूर्ण कर चुका हो।

(ग) न्यूनतम डिप्लोमाधारी/डिग्रीधारी तकनीशियन (ग्रेड-2), जो पद पर स्थायी घोषित हो चुके हों, के लिये 8.33 प्रतिशत कोटे के अन्तर्गत अर्हकारी सेवा की न्यूनतम अवधि 05 वर्ष की होगी, प्रतिबन्ध यह होगा कि :-

(1) दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से प्राप्त प्रमाण-पत्र एवं फ्रेन्चाइजी संस्थानो द्वारा ऑफ कैम्पस विधि से प्राप्त तकनीकी डिप्लोमा/डिग्री मान्य नही होंगे।

(2) गैर मान्यता प्राप्त संस्थानों से प्राप्त तकनीकी डिप्लोमा/डिग्री मान्य नही होंगे।

(3) प्रोन्नति के उपरान्त, सिविल (जानपद) विधा के डिप्लोमा/डिग्रीधारी कार्मिकों को अवर अभियन्ता (जानपद) का कैडर आवंटित किया जायेगा एवं अन्य डिसिप्लिन के डिप्लोमा/डिग्रीधारी कार्मिकों को अवर अभियन्ता (ई0 एण्ड एम0) कैडर आवंटित किया जायेगा।

(4) जानपद मण्डल/खण्ड के कार्यरत् कार्मिक *(यांत्रिक संवर्ग)* की उपरोक्त आधार पर अवर अभियन्ता के पद पर प्रोन्नति जानपद संवर्ग हेतु ही की जायेगी। इस प्रकार के चयन में अवर अभियन्ता (जानपद)/अवर अभियन्ता (इलेक्ट्रिकल/इलेक्ट्रानिक्स/टेलीकम्यूनिकेशन) के चयन अलग-अलग रिक्तियों के अनुसार किये जायेंगे, जिसके लिये उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद अवर अभियन्ता (ई0 एण्ड एम0) सेवा विनियमावली-1972 भी उक्त सीमा तक संशोधित मानी जायेगी।

उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद परिचालकीय कर्मचारी वर्ग सेवा विनियमावली, 1995 में इंगित विभिन्न श्रेणी के पदों में से श्रेणी-"प-5" के पदों यथा-केबिल ज्वाइंटर (11 के0वी0), परिचालक ग्रेड-1 (मोबाइल क्रेन) एवं परिचालक ग्रेड-1 *(पुलिंग यूनिट एवं ट्रेलर)* तथा श्रेणी-"प-6" के पदों यथा-केबिल ज्वाइंटर (33 के0वी0 एवं उच्चतर) को मृत संवर्ग घोषित किया जाता है। तद्नुसार इन श्रेणियों के विभिन्न पदों पर कार्यरत कार्मिक *(यदि कोई हो तो)* श्रेणी-"प-4" में मर्षित कर दिये जायेंगे। मर्षणोंपरान्त ऐसे कार्मिकों की वरिष्ठता यथास्थान निर्धारित की जायेगी।

निदेशक मण्डल की आज्ञा से,

संख्या : 135 -(1) विनियम/काविनी-29/पाकालि/2017 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. प्रमुख सचिव (ऊर्जा), उ0प्र0 शासन, बापू भवन, लखनऊ।
2. अध्यक्ष, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, लखनऊ के निजी सचिव।
3. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, लखनऊ के निजी सचिव।
4. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0।
5. समस्त निदेशकगण, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन लखनऊ के निजी सचिव।
6. अपर सचिव (प्रथम/द्वितीय/तृतीय)/उ0प्र0 पाकालि, शक्ति भवन, लखनऊ।
7. अध्यक्ष, विद्युत सेवा आयोग, उ0प्र0 पा0का0लि0, एस0एल0डी0सी0 परिसर (निकट मंत्री आवास), विभूति खण्ड, फेज-2, गोमती नगर, लखनऊ।
8. संयुक्त सचिव (सचि0प्रशा0) उ0प्र0 पाकालि, शक्ति भवन, लखनऊ।
9. कम्पनी सचिव, उ0प्र0 पाकालि, शक्ति भवन, लखनऊ।
10. अधिशासी अभियन्ता (वेब), शक्ति भवन, लखनऊ को उ0प्र0 पावर कारपोरेशन की वेबसाईट, www.uppcl.org पर अपलोड करने हेतु।

5.9.17

(राजेश कुमार भटनागर)
अनु सचिव (विनियम)